If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director, National Museum of Natural History – Chairman; 2. Scientist 'C' or 'D', National Museum of Natural History – Member; 3. Under Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change – Member; 4. Administrative Officer, National Museum of Natural History – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 4(33)/2017-18/NMNH/Admn.]

N. THYAGARAJAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 जून, 2018

सा.का.नि. 181.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1975 को, जहाँ तक उनका संबंध ज्येष्ठ प्रदर्शन तैयारीकर्ता के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में ज्येष्ठ प्रदर्शन तैयारीकर्ता के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, ज्येष्ठ प्रदर्शन तैयारीकर्ता भर्ती नियम, 2018 है |

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं |

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बाते वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं |

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी |

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ प्रदर्शन तैयारीकर्ता	01* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-6 (35400-112400/रु.)	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न प्रद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दिशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 के ऐसे मूर्तिकार या प्रदर्शन तैयारीकर्ता जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छः वर्ष सेवा की हो और माप मॉडल तैयार करने और चित्रावली (डिओरमा) में 2 से 4 हफ्तों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। **टिप्पणः-** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनका ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब की उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय - अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक 'ग' या 'घ', राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय - सदस्य 3. अवर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा.सं. 4(34)/2017-18/एनएमएनएच/प्रशा.]

एन. त्यागराजन, अवर सचिव

New Delhi, the 14th June, 2018

G.S.R. 181.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Science and Technology, Natural History Museum (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1975, in so far as they relate to the post of Senior Exhibit Preparator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Exhibit Preparator in the National Museum of Natural History, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, National Museum of Natural History, Senior Exhibit Preparator Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. -The number of post, its classification and level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc. -The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. -No Person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, and in consultation with the Union Public Service Commission by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. -Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Exhibit Preparator	01* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs.35400-112400/-) in the pay matrix.	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two Years

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(10)	(11)
By Promotion.	**Promotion :** Modeller or Exhibit Preparators in level 5 of the pay matrix with six years' service rendered in the grade after appointment thereto on a regular basis and having successfully completed 2-4 weeks' training in preparation of scale models and dioramas. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility promotions, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service of two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:- 1. Director, National Museum of Natural History – Chairman; 2. Scientist 'C' or 'D', National Museum of Natural History – Member; 3. Under Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change – Member; 4. Administrative Officer, National Museum of Natural History – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 4(34)/2017-18/NMNH/Admn.]

N. THYAGARAJAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2018.06.25 15:33:00 +05'30'